<u>स्थानीय सूचना</u>

प्रपत्र VI 'क'

झारखण्ड सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(भू–अर्जन निदेशालय)

या

समाहर्त्ता या समुचित सरकार

प्रारंभिक अधिसूचना

(अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के अधीन)

संख्या–07/भू0अ0 दिनांक–08.11.2017

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता, कोडरमा को यह प्रतीत होता है, कि ग्राम–**नवादा,** थाना – **नवलशाही,** थाना सं0 – **213,** अंचल – **डोमचाँच,** जिला – **कोडरमा** में भूमि सार्वजनिक प्रयोजन, यथा **कोडरमा–जमुआ पथ** चौड़ीकरण निर्माण हेतु अपेक्षित है इसलिए एस0आई0ए0 इकाई सपोर्ट द्वारा सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन कराया गया जिसकी समीक्षा हेतु गठित विशेषज्ञ समूह द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधियाचित भूमि लोक कल्याणार्थ आवश्यक न्यूनतम सीमा है। इस परियोजना से प्रभावित परिवारों की आर्थिक गतिविधियों, आय के स्रोत एवं सेवा के अवसर में उन्नयन के फलस्वरूप प्रभावितों के जीवन स्तर में उन्नति की संभावना है एवं परियोजना के संभाव्य लाभ सामाजिक खर्च और प्रतिकूल सामाजिक समाघातों की तुलना में बहुत अधिक है। प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यस्थापन के प्रयोजनार्थ अपर समाहर्त्ता अथवा नियम 2 (1) (ख) के तहत नियुक्त पदाधिकारी प्रशासक के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अतएव अधिसूचित किया जाता है कि ग्राम**–नवादा,** थाना**–नवलशाही,** थाना सं0**–213,** अंचल**– डोमचाँच,** जिला**–कोडरमा** में उपर्युक्त कथित परियोजना के लिए कमोवेश– **0.0350ए0** यानि**0.0141** हेक्टेयर मानक माप का भूखण्ड, जिसका विस्तृत विवरण निम्नलिखित है, अर्जनाधीन है........

ग्राम–**नवादा,** थाना– **नवलशाही,** थाना सं0–**213,** अंचल–**डोमचाँच,** जिला–**कोडरमा।**

क्रम सं0	खाता नं0	सर्वे भूखंड सं0 (प्लॉट नं0)	स्वामित्व प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्व व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0) उ0 द0 पू0 प0
1.	34	426	रैयती	आवासीय	0.0025	टहल राणा पिता–स्व0 मीतो राणा निवासी–धरगांव	**उ0**– सड़क **द0**–प्लॉट 426 अंश **पू0**–प्लॉट 691 **प0**–प्लॉट 618
		427	रैयती	कृषि	0.0025	अर्जुन किशोर यादव पिता–स्व0हारो मेहता नि0 –निजग्राम।	**उ0**– सड़क **द0**–प्लॉट 427 अंश **पू0**–प्लॉट 428 **प0**–प्लॉट 426
2.	37	439/935	रैयती	कृषि	0.02	पार्वती देवी पति – चिन्तामणी साव नि0 –निजग्राम वो मनोज कु0 मेहता वो मनीष कुमार मेहता पिता –स्व0कृष्णलाल मेहता, डोमचॉच	**उ0**– सड़क **द0**–प्लॉट 935 अंश **पू0**–प्लॉट 635 **प0**–प्लॉट 434
				आवासीय	0.01		
कुल :–					**0.0350 एकड़**		

यह अधिसूचना भू–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम–30/2013 की धारा–11(1) के उपबंधो के अधीन सभी संबंधित व्यक्तियों के लिए जारी की जाती है।

भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** के कार्यालय में किसी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा। झारखण्ड सरकार/समाहर्त्ता–सह–समुचित सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथाउपबंधित एवं यथाविनिर्दिष्ट कार्यो के समुचित निष्पादन हेतु अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए, अवभूमि खोदने या भू–वेधन–छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यो के संचालन करने हेतु जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति जिला समाहर्त्ता के पूर्विक अनुमोदन के बिना इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यथा क्रय/विक्रय नही करेगा या ऐसा कोई अन्तरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा। अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथाउपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60) दिनों के अन्तर्गत भू–अर्जन की बाबत किसी प्रकार की आपत्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, **कोडरमा** के समक्ष दर्ज की जा सकेगी।

ह0/–	ह0/–	ह0/–
जिला भू–अर्जन पदाधिकारी,	अपर समाहर्त्ता,	उपायुक्त,
कोडरमा।	कोडरमा।	कोडरमा।